प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठः माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख,न्यायमूर्ति

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 633/2006

डॉ. प्रेमिश वर्मा

बनाम

लोकेश शर्मा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

पारित दिनांक 13-11-2007

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठः माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 633/2006

आवेदक डॉ. प्रेमिश वर्मा, आयु 56 वर्ष, पिता आई.पी. वर्मा, वर्मा सिटी एवं सोनोग्राफी, एक्स-रे सेंटर, टी.पी. नगर, कोरबा

बनाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनावेदक लोकेश शर्मा, पिता श्री जे.के.शर्मा, प्रो. एक्सए एजेंसी, शीतला मंदिर के पास, आमापारा, रायपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन प्रस्तुत

उपस्थितः आवेदक की ओर से श्री आशीष श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता
अनावेदक की ओर से श्री प्रवीण कुमार तुलस्यान, सहित श्री विवेक राठौर, विद्वान अधिवक्ता

आदेश

(पारित करने का दिनांक 13 नवम्बर, 2007)

इस पुनरीक्षण में, श्री जी. के. मिश्रा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा (एतस्मिन पश्चात जिन्हें 'एएसजे' कहा जाएगा) द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 6/06 में दिनांक 19-07-2006 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा द्वारा दिनांक 21-02-2006 को पारित आदेश , जिसमें आवेदक द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे आगे

अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 138 के अधीन प्रस्तुत परिवाद की संधार्यता के संबंध में आपत्ति को खारिज कर दिया गया था, उलट दिया गया था।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान, विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण को चुकाने के लिए, इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक "लिमिटेड, प्रेस कॉम्प्लेक्स, सदर बाजार, रायपुर (छ.ग.) पर अनावेदक द्वारा दिनांक 09-04-2003 को आहरित चेक क्रमांक 154749, जिसकी राशि 5 लाख रुपये थी, आवेदक को दिया गया था, जिसे आवेदक ने अपने बैंकर, यानी बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कोरबा (एतस्मिन पश्चात 'बैंक' के रूप में संदर्भित) को प्रस्तुत किया था। दिनांक 23-08-2003 को, आवेदक को बैंक से जानकारी मिली कि अनावेदक के खाते में पर्याप्त शेष राशि की कमी के कारण उपरोक्त चेक बाउंस हो गया था।

(3) बैंक से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, आवेदक ने उसी दिन और उसके बाद कई बार अनावेदक को दूरभाष पर सूचित किया कि उसके द्वारा आहरित चेक बिना संदाय के वापस कर दिया गया है। दिनांक 22-09-2003 को, आवेदक ने अनावेदक को अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (ख) के अंतर्गत डाक प्रमाण पत्र के अंतर्गत लिखित सूचना भेजी। सूचना प्राप्त होने के बावजूद, अनावेदक ने अधिनियम की धारा 138(ग) में उल्लिखित वैधानिक अवधि के भीतर आवेदक को उक्त धनराशि का संदाय नहीं किया। आवेदक द्वारा दिनांक 21-10-2003 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा के समक्ष अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया। आवेदक का शपथ पर कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने दिनांक 31-10-2003 को अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया और अनावेदक को सूचना जारी किया। दिनांक 24-12-2004 को, अनावेदक द्वारा परिवाद की पोषणीयता के संबंध में एकमात्र इस आधार पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि आवेदक द्वारा बैंक से चेक के असंदत्त रूप से वापस किए जाने की सूचना प्राप्त होने के तीस दिवस की वैधानिक अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 138(ख) के अधीन अपेक्षित विधिक सूचना नहीं दिया गया था। इस आवेदन पर श्री पी.एस.मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा (जिन्हें आगे मजिस्ट्रेट कहा जाएगा) द्वारा विचार किया गया, जिस न्यायालय में प्रकरण दिनांक 15-09-2004 को अंतरित कर दिया गया।

(4) यद्यपि, परिवाद की संधार्यता के संबंध में आपत्ति अधिनियम की धारा 138 के परंतुक (ख) से संबंधित थी, मजिस्ट्रेट ने इस आपत्ति पर इस प्रकार विचार किया मानो यह अधिनियम की धारा 142 के उप-खंड (ख) का अनुपालन न करने के संबंध में हो। फलस्वरुप, इस आधार पर आपत्ति को खारिज कर दिया गया कि आवेदक ने दिनांक 22-09-2003 के सूचना के एक माह के भीतर अधिनियम की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धारा 138 के परंतुक (ग) के साथ पठित धारा 142(ख) के अंतर्गत परिकल्पित परिवाद प्रस्तुत कर दी थी।

(5) व्यथित होकर, यहां अनावेदक ने सत्र न्यायाधीश, कोरबा के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 6/06 प्रस्तुत की। आक्षेपित आदेश द्वारा, एएसजे ने इस आधार पर पुनरीक्षण को स्वीकार किया कि आवेदक/प्राप्तकर्ता ने बैंक से चेक के असंदत्त रूप से वापस आने के संबंध में सूचना प्राप्त होने के तीस दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) द्वारा परिकल्पित सूचना नहीं दिया था। एएसजे ने 23–08–2003 से सीमा की अवधि की संगणना की, यानी, चेक के असंदत्त रूप से वापस आने के संबंध में बैंक से आदाता द्वारा सूचना प्राप्त करने की तारीख सहित और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 31 वें दिन दिया गया दिनांक 22–09–2003 का सूचना अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) के अधीन प्रदान की गई तीस दिवस की वैधानिक अवधि से परे था। फलस्वरुप, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान अधिनियम की धारा 138 के परंतुक (ख) का अनुपालन न करने के कारण गलत था। फलस्वरुप, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश द्वारा परिवाद को खारिज कर दिया, जिसे इस पुनरीक्षण में चुनौती दी गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(6) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव का तर्क है कि ऐसी स्थिति में साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 और परिसीमा अधिनियम की धारा 12 के अधीन, चेक के असंदत्त रूप से वापस आने के संबंध में बैंक से आदाता द्वारा सूचना प्राप्त करने की तारीख को तीस दिवस की वैधानिक अवधि की संगणना करते समय बाहर रखा जाना चाहिए, जिसके भीतर आदाता को अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) के अधीन चेक के लेखीवाल, यानी अनावेदक को लिखित में सूचना देना आवश्यक है। **साकेत इंडिया लिमिटेड व अन्य बनाम इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, (1999) 3 एससीसी 1, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड व अन्य बनाम अशोका अलॉय स्टील लिमिटेड व अन्य, (2006) 9 एससीसी 340 प्रेम चंद विजय कुमार बनाम यशपाल सिंह व अन्य, (2005) 4 एससीसी 417, तरुण प्रसाद चटर्जी बनाम दीनानाथ शर्मा, (2000) 8 एससीसी 649, पद्म चरण महापात्रा बनाम पुलिस अधीक्षक, सह कर प्राधिकरण फूलबनी, एआईआर 1965 उड़ीसा 71 और श्रीनिवास सिल्क मिल्स, शेषाद्रिपुरम व अन्य बनाम मैसूर राज्य व अन्य, एआईआर 1962 मैसूर 117** में प्रकाशित प्रकरणों का अवलंब लिया गया।

(7) दूसरी ओर, अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार तुलस्यान एवं श्री विवेक राठौर का तर्क है कि अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (ख) में प्रयुक्त शब्द "भीतर" उस दिन को अपने सीमा में लेता है जिस दिन प्राप्तकर्ता को बैंक से चेक के असंदत्त रूप से वापस किए जाने की सूचना प्राप्त होती है।

यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (ख) और धारा 142 के परन्तुक (ख) में "तीस दिवस के भीतर" शब्दों के बाद "से" शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि "से" शब्द का, जो परिसीमा अधिनियम की धारा 12 या साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 को आकर्षित करता है, जहाँ प्रयुक्त शब्द "से" है न कि "का"। **मेसर्स एसआईएल इम्पोर्ट, यूएसए बनाम मेसर्स एक्जिम एड्स सिल्क एक्सपोर्टर्स, बैंगलोर, एआईआर 1999 एससी 1609** का अवलंब लेते हुए यह भी अभिवचन किया गया कि ई–कॉमर्स और तकनीक के आगमन के साथ, आवेदक को दिनांक 23–08–2003 को फैक्स, कूरियर या ई–मेल द्वारा लिखित रूप में सूचना भेजने से नहीं रोका गया था, भले ही बैंक से सूचना आवेदक तक देर से पहुंची हो। इसलिए, आवेदक अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) के अधीन प्रदत्त तीस दिवस की वैधानिक सीमा की संगणना करते समय चेक के असंदत्त रूप से वापस होने के संबंध में बैंक से उसे सूचना प्राप्त होने की तिथि को बाहर करने की मांग नहीं कर सकता था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि लिखित सूचना दिनांक 22–09–2003, अर्थात् 31 तारीख को दी गई थी। इन आधारों पर, यह तर्क दिया गया कि आवेदक के पक्ष में अधिनियम की धारा 142(क) के अंतर्गत परिवाद दर्ज करने के लिए कोई वाद–हेतुक उद्भूत नहीं हुआ। **मेसर्स मुनोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स पुट्टुकोला प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड व अन्य, 2001 क्रि.एल.जे. 4167 (सुप्रीम कोर्ट) और बालकृष्ण माहेश्वरी बनाम मीना उर्फ चमन जैन, 2007 (1) एमपीडब्ल्यूएन 64** का भी अवलंब लिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(8) परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के उपरांत, मैंने अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। प्रारंभ में, मुझे यह कहना होगा कि मजिस्ट्रेट की ओर से परिवाद की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति पर उसके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने में पूर्णतः विफलता रही क्योंकि वह यह देखने में असफल रहे कि आपत्ति अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) के अनुपालन न करने के संबंध में थी। फलस्वरुप, मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा 142 के प्रावधान (ख) पर ही विचार किया और माना कि परिवाद समय सीमा के भीतर की गई थी। ऐसी त्रुटि मजिस्ट्रेट की ओर से आपत्ति और अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) की उसके उचित परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म जांच करने और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने में विफलता को दर्शाती है। एएसजे के विचार में यह भी नहीं आया कि अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) के अनुपालन न करने के संबंध में आपत्ति पर मजिस्ट्रेट द्वारा तनिक भी विचार नहीं किया गया था।

(9) विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों की विवेचना करने से पूर्व, अधिनियम की धारा 138 और 142 को पुनः उद्धृत करना आवश्यक होगा, जो निम्नानुसार हैं:

138. **खातों में अपर्याप्त निधियों, आदि के कारण चेक का अनादरण–** जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए कराकर द्वारा उस खाते में से संदाय करने करने का ठहराव किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुमनि से, जो चेक की रकम का दुगुना तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक

(क) वह चेक उसके, लिखे जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो;

(ख) चेक का पाने वाला या धारक, सम्यक अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को, अमंदत्त चेक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता हैः और

(ग) ऐसे चेक का लेखीवाल, चेक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक् अनुक्रम में करने में असफल नहीं रहता है।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" में विधितः प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत है।

142. अपराधों का संज्ञान–(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी

(क) कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, चेक के पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं;

(ख) ऐसा परिवाद उस तारीख के एक मास के भीतर किया जाता है जिसको धारा 138 के परंतुक के (ग) के अधीन वाद हेतुक उद्भूत होता है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परंतु न्यायालय द्वारा किसी परिवाद का संज्ञान विहित अवधि के पश्चात् लिया जा सकेगा यदि परिवादी न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(ग) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(बल दिया गया)

(10) अधिनियम की पूर्वोक्त धारा 138, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान करती है कि जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा आहरित कोई चेक बैंक द्वारा बिना संदाय के वापस कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति पर अपराध कारित माना जाएगा, तथापि, यह तभी लागू होगा जब खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं। अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक के लेखीवाल पर अपराध के लिए सफलतापूर्वक अभियोग चलाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(क) कि चेक किसी ऋण/देयता के संदाय हेतु धनराशि के संदाय हेतु आहरित किया गया था और चेक अनादरित हो गया था;

(ख) कि चेक निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था;

(ग) कि आदाता ने निर्धारित अवधि के भीतर चेक लेखीवाल को लिखित में सूचना देकर धनराशि के संदाय की मांग की थी; और

(घ) कि चेक लेखीवाल सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर संदाय करने में असफल रहा।

धारा 142 में आगे यह भी प्रावधान है कि न्यायालय, आदाता या धारक द्वारा की गई लिखित परिवाद पर धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान यथासमय लेगा, यदि ऐसी परिवाद वाद हेतुक उद्भूत होने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। एक माह की संगणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जाएगी, जैसा कि साधारण खंड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है। इस संशोधन में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 138 के परंतुक (ख) के अंतर्गत निर्धारित तीस दिवस की अवधि की संगणना के लिए, बैंक से सूचना प्राप्त होने की तिथि को छोड़कर अवधि की संगणना की जानी है।

(11) साकेत इंडिया लिमिटेड व अन्य बनाम इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) प्रकरण में, अधिनियम की धारा 142(ख) में उल्लिखित शब्द "उस तारीख से एक मास के भीतर, जिस दिन

अधिनियम की धारा 138 के परंतुक (ग) के अधीन वाद हेतुक उद्भूत होता है", उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आए। ये शब्द अधिनियम की धारा 138 के परंतुक (ख) में उल्लिखित शब्दों "बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीस दिवस के भीतर" के समान हैं। साकेत इंडिया लिमिटेड व अन्य बनाम इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कण्डिका 5, 6 व 7 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है:

> "5. अधिनियम की पूर्वोक्त धारा 138 अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान करती है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा आहरित कोई चेक बैंक द्वारा बिना संदाय किए वापस कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला माना जाएगा, यद्यपि, यह तभी लागू होगा, जब खंड (ए), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं। धारा 142 आगे यह प्रावधान करती है कि न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा की गई लिखित परिवाद पर उचित समय पर लेगा, यदि ऐसी परिवाद कार्रवाई का कारण उद्भूत होने की तारीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत की जाती है। एक मास की संगणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जानी है, जैसा कि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित किया गया है। प्रश्न यह होगा कि क्या धारा 142(ख) के अधीन निर्धारित एक मास की अवधि की संगणना करने के लिए, उस अवधि को कार्रवाई का कारण उद्भूत होने की तारीख को छोड़कर संगणना की जानी चाहिए।
>
> 6. इसी प्रकार के तर्क पर इस न्यायालय ने हारु दास गुप्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(1972) 1 एससीसी 639] के प्रकरण में विचार किया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह नियम सुस्थापित है कि जहां किसी निश्चित तिथि से एक विशेष समय दिया गया है जिसके भीतर कोई कार्य किया जाना है, उस तिथि के दिन को छोड़ दिया जाना है; ऐसे दिन से लेकर ऐसे दिन तक की अवधि को परिभाषित करने का प्रभाव, जिसके भीतर ऐसे दिन से लेकर ऐसे दिन तक की अवधि, जिसके भीतर कोई कार्य किया जाना है, पहले दिन को छोड़ देना और अंतिम दिन को शामिल करना है। उस प्रकरण के संदर्भ में, न्यायालय ने माना कि नजरबंदी की तिथि से तीन मास की अवधि की संगणना करते समय, जो 5–2–1971 थी, जिसकी समाप्ति से पहले नजरबंदी आदेश की पुष्टि करने और उसके अधीन नजरबंदी जारी रखने का निर्णय आदेश दिया जाना था, नजरबंदी के प्रारंभ की तिथि, अर्थात 5 फरवरी को छोड़ दिया जाना है; ऐसा करने पर, 5–5–1971 का पुष्टि आदेश तीन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मास की अवधि की समाप्ति से पहले किया गया था। हिरासत की तारीख। न्यायालय ने माना कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि निर्माण के उपरोक्त नियम का लगातार और इतने लंबे समय तक अनुपालन न किया जाए। उपरोक्त सिद्धांत के लिए, न्यायालय ने अंग्रेजी न्यायालयों में अपनाए गए सिद्धांत का संदर्भ दिया। सुसंगत विश्लेषण निम्नानुसार है: (एससीसी पृष्ठ 641, कण्डिका 5)

"5. ये निर्णय दर्शाते हैं कि न्यायालयों ने किसी कार्य को करने के लिए निर्धारित अवधि और कार्य करने के लिए निर्धारित समय के बीच अंतर किया है। यह नियम सुस्थापित है कि जहाँ किसी निश्चित तिथि से कोई विशेष समय दिया गया है जिसके भीतर कोई कार्य किया जाना है, वहाँ उस तिथि के दिन को छोड़ दिया जाता है। (देखें गोल्डस्मिथ्स कंपनी बनाम द वेस्ट मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी [(1904) 1 केबी 1, 5] केबी पृष्ठ 5 पर।) कार्टराइट बनाम मैककॉर्मैक [(1963) 1 ऑल ईआर 11, 13]: ऑल ईआर पृष्ठ 13 पर इस नियम का पालन किया गया था, जहाँ एक बीमा कंपनी द्वारा जारी कवर नोट में "पॉलिसी शुरू होने की तिथि से पंद्रह दिन" की अभिव्यक्ति को उस दिन की मध्यरात्रि से शुरू होने वाली पहली तिथि और कवर नोट को छोड़कर समझा गया था, और मैरेन बनाम डॉसन बेंटले एंड कंपनी लिमिटेड [(1961) 2 क्यूबी 135] में भी, क्षतिपूर्ति के लिए एक प्रकरण नियोजन के दौरान प्राप्त चोटें, जहां नियोजन के दौरान प्राप्त चोटें, जहां सीमा की अवधि की संगणना के प्रयोजनों के लिए दुर्घटना की तारीख, कार्रवाई के कारण की तारीख, को बाहर रखा गया था। (स्टीवर्ट बनाम चैपमैन [(1951) 2 केबी 792] और इन रे नॉर्थ, एक्स पार्ट वास्लक [(1895) 2 क्यूबी 264] भी देखें।) इस प्रकार, एक साधारण नियम के रूप में ऐसे दिन से ऐसे दिन तक की अवधि को परिभाषित करने का प्रभाव, जिसके भीतर कोई कार्य किया जाना है, पहले दिन को बाहर करना और अंतिम दिन को शामिल करना है। [हेल्सबरी लॉं आफ इंग्लैंड, (3 संस्करण), खंड 37, पृष्ठ 92 और 95 देखें।] कोई कारण नहीं है कि निर्माण के पूर्वोक्त नियम का लगातार और इतने लंबे समय तक अनुपालन किया जाना चाहिए।

"7. जिस दिन से अवधि की संगणना की जानी है, उस दिन को बाहर करने का उपरोक्त सिद्धांत परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12(1) और (2) में शामिल किया गया है। धारा 12(1) विशेष रूप से प्रदान करती है कि किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए सीमा की अवधि की संगणना करने में, जिस दिन से ऐसी अवधि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की संगणना की जानी है, उसे बाहर रखा जाएगा। अपील, पुनरीक्षण या पुर्नविलोकन के लिए उप–धारा (2) में समान प्रावधान किए गए हैं। साधारण खंड अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाए गए साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 में भी यही सिद्धांत शामिल किया गया है, दिनों की श्रृंखला या किसी अन्य समय अवधि में पहले को छोड़ने के प्रयोजन के लिए, "से" शब्द का उपयोग करना पर्याप्त होगा और दिनों की श्रृंखला या किसी अन्य समय अवधि में अंतिम को शामिल करने के प्रयोजन के लिए, "तक" शब्द का उपयोग करना पर्याप्त होगा।

(12) साकेत इंडिया लिमिटेड व अन्य बनाम इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) प्रकरण में पारित निर्णय का अनुपालन उच्चतम न्यायालय ने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड व अन्य बनाम अशोका अलॉय स्टील लिमिटेड व अन्य (पूर्वोक्त) प्रकरण में किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(13) साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 इस प्रकार है।

> **9. समय का प्रारम्भ और पर्यवसान (1)** इस अधिनियम के पश्चात् बनाए गए किसी केन्द्रीय अधिनियम या विनियम में दिनों की आवलियों में के या समय की किसी अन्य कालावधि में के पहले दिन को अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए, 'से" शब्द का उपयोग तथा दिनों की आायलियों में के या समय की किसी अन्य कालावधि में के अन्तिम दिन को अन्तर्गत करने के प्रयोजन के लिए "तक" शब्द का उपयोग पर्याप्त होगा।
>
> (2) यह धारा 1868 की जनवरी के तीसरे दिन के पश्चात् बनाए गए सब केन्द्रीय अधिनियमों को और 1887 की जनवरी के चौदहवें दिन को या उसके पश्चात् बनाए गए सब विनियमों को भी लागू होती है।

(14) परिसीमा अधिनियम की धारा 12 निम्नानुसार है ।

> **12. विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन** (1) किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा, जिससे ऐसे परिसीमा काल की संगणना की जानी है।

(2) किसी अपील के लिए अथवा ऐगे आवेदन के लिए, जो अपील की इजाजत या पुनरीक्षण के, या किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए हो. परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन, जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था तथा उस डिक्री, दण्डादेश या आदेश की, जिसकी अपील की गई है या जिसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन ईप्सित है प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(3) जहां कि किसी डिक्री या आदेश की अपील की जाती है या उसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन ईप्सित है या जहां कि किसी डिक्री या आदेश की अपील की इजाजत के लिए आवेदन किया जाता है, वहां उस निर्णय की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय भी अपवर्जित कर दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) किसी पंचाट के अपास्त किए जाने के लिए आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में पंचाट की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण– किसी डिक्री आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय की इस धारा के अधीन संगणना करने में वह समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा जो न्यायालय ने उस डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन किए जाने में पूर्व डिक्री या आदेश को तैयार करने में लगाया हो।

(15) यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (क), (ख) और (ग) तथा धारा 142 में चेक प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा कार्य करने हेतु अपेक्षित वैधानिक अवधि निर्धारित करने वाले शब्दों के बाद "का" शब्द का प्रयोग किया गया है, वहीं साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 और परिसीमा अधिनियम की धारा 12 में "का" के स्थान पर "से" शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः, यह विचार करना आवश्यक है कि "का" शब्द का तात्पर्य क्या है।

(16) वसंतलाल रणछोड़दास पटेल व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, एआईआर 1967 बॉम्बे 138 में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (2) में प्रयुक्त "माल की जब्ती के छह मास के भीतर" अभिव्यक्ति में "का" शब्द को "से" पढ़ा जाना चाहिए। एक्स पार्टे फॉलन,

(1793) 5 टर्म रेप 283 का अवलंब लेते हुए, जिसमें प्रयुक्त शब्द "का" था न कि "से", यह देखा गया कि "का", "से" और "बाद" वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं और दोनों प्रावधानों की प्रकृति से कोई अंतर नहीं सुझाया जा सकता। स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल शब्दकोश, खंड 3, 1953 संस्करण के नोट (5) में "का" शब्द के अंतर्गत, यह देखा गया है कि "का" कभी–कभी "बाद" के समतुल्य होता है, उदाहरण के लिए "निष्पादन के 21 दिनों के भीतर" अभिव्यक्ति में। अतः साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 में अंतर्निहित सिद्धांत को केवल इसलिए अनुपयुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि धारा 110 की उपधारा (2) में प्रयुक्त शब्द "का" है न कि "से"।

(17) वी.एस. मेथा व अन्य, एआईआर 1970 एपी 234 के प्रकरण में, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 106 में निहित प्रावधान पर विचार करते हुए, "तारीख से तीन मास के भीतर" शब्दों का प्रयोग करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि "का" शब्द कभी–कभी "बाद" शब्द के समतुल्य होता है। यह अर्थ पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन, तृतीय संस्करण 2005, पृष्ठ 3300 पर और स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल शब्दकोश में भी मिलता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(18)हेल्सबरी लॉ आफ इंग्लैंड, 37 वें संस्करण, खंड 3, पृष्ठ 92 में, यह निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:

> "शामिल या अपवर्जित दिन जब किसी निश्चित दिन से या किसी अन्य दिन या घटना तक की परिसीमा काल विधि द्वारा निर्धारित या अनुबंध द्वारा निश्चित की जाती है, और यह प्रश्न उठता है कि संगणना प्रथम उल्लिखित दिन या अंतिम उल्लिखित दिन को सम्मिलित रूप से या अनन्य रूप से की जानी है, तो संदर्भ और उन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके लिए संगणना की जानी है। जहाँ संदेह की गुंजाइश हो, वहाँ अधिनियम या दस्तावेज की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह प्रभावी हो, न कि संसद या पक्षकारों की मंशा को, जैसी भी स्थिति हो, विफल करे। 'अमुक दिन से' या 'अमुक दिन तक' जैसे शब्द अस्पष्ट हैं, क्योंकि वे यह स्पष्ट नहीं करते कि निर्दिष्ट दिन को सम्मिलित करना है या अपवर्जित करना है। हालाँकि, साधारण नियम के रूप में, इस प्रकार से अवधि को परिभाषित करने का प्रभाव प्रथम दिन को अपवर्जित करना और अंतिम दिन को सम्मिलित करना है।"

(19) उच्चतम न्यायालय ने तरुण प्रसाद चटर्जी बनाम दीनानाथ शर्मा (पूर्वोक्त) प्रकरण में, याचिकाओं की प्रस्तुति से संबंधित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81(1) में प्रयुक्त शब्दों "निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर, परंतु उससे पूर्व नहीं" की व्याख्या करते हुए, साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 के दायरे पर विचार किया और निम्नानुसार अवधारित किया:

> "12. धारा 9 में व्यक्त किया गया है कि साधारण खंड अधिनियम, 1897 के प्रारंभ के बाद बनाए गए किसी भी केंद्रीय अधिनियम या विनियमन में, दिनों की श्रृंखला या किसी अन्य परिसीमा काल में पहले दिन को बाहर करने के लिए "से" शब्द का प्रयोग पर्याप्त होगा, और दिनों की श्रृंखला या किसी परिसीमा काल में अंतिम दिन को शामिल करने के लिए "तक" शब्द का प्रयोग पर्याप्त होगा। सिद्धांत यह है कि जब किसी अवधि को किसी क़ानून या नियम द्वारा सीमांकित किया जाता है, जिसका आरंभ और अंत दोनों होता है, और "से" शब्द का प्रयोग आरंभ को इंगित करने के लिए किया जाता है, तो प्रारंभिक दिन को बाहर रखा जाना चाहिए और यदि अंतिम दिन को शामिल करना है तो "तक" शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। अवधि के पहले दिन को बाहर करने के लिए, विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या परिसीमा दिनों की श्रृंखला या किसी निश्चित अवधि द्वारा सीमांकित है। इसका प्रयोजन कुछ पक्षकारों को होने वाली कठिनाइयों या असुविधा को कम करना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बीमा पॉलिसी को 1 जनवरी से एक दिन के लिए वैध होना है, तो वह केवल यदि 1 जनवरी की तिथि को संगणना अवधि से बाहर रखा जाता है, तो पॉलिसी के निष्पादन के कुछ घंटों के बाद ही दावा प्रस्तुत किया जाएगा तथा बीमा पॉलिसी में पक्षकार या लाभार्थी को दावा प्रस्तुत करने के लिए उचित समय नहीं मिलेगा।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्वाचित उम्मीदवार की निर्वाचन तिथि को परिसीमा की संगणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(20) चेक के अनावेदक/लेखीवाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया अभिवचन कि "भीतर" शब्द का अर्थ है कि जिस तारीख को बैंक से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि चेक बिना संदाय के वापस कर दिया गया है, उसे परिसीमा की संगणना में शामिल किया जाता है, को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लॉ लेक्सिकॉन, 1997 संस्करण में, समय की अवधि के संबंध में "भीतर" शब्द का आमतौर पर "के दौरान" या पूरी अवधि के दौरान अर्थ नहीं होता है; इसका प्रयोग अक्सर उस अवधि को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

'सीमित करने के लिए किया जाता है जिसके अंदर' कुछ घटनाएं हो सकती हैं। समय के संबंध में, "भीतर" शब्द का अर्थ है "की सीमा में", "के अंत से पहले" और "से अधिक नहीं" के बाद। यह आगे कहा गया है कि समय अवधि के संदर्भ में प्रयुक्त "भीतर" शब्द का अर्थ "अवधि से पहले या उसकी समाप्ति पर" हो सकता है। डी.एम. थिप्पास्वामी बनाम मैसूर राजस्व अपीलीय अधिकरण, बैंगलोर, एआईआर 1972, मैस 50, 53, सुश्री एवी जे. कामा बनाम बनवारीलाल अग्रवाल, एआईआर 1953 नागपुर 81, 84 और मैनरलाइक लिमिटेड बनाम बनवारीलाल अग्रवाल, एआईआर 1953 नागपुर 81, 84 और मैनरलाइक लिमिटेड बनाम ले विटास ट्रैवल एजेंसी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, (1986) 1 ऑल ईआर 573, 575 (सीए) और स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल शब्दकोश में भी "भीतर" शब्द का यही अर्थ दिया गया है। इसलिए, चेक के अनावेदक/आहर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

(21) अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता ने मेसर्स मुनोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स पुट्टुकोला प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड व अन्य (पूर्वोक्त) प्रकरण के आधार पर यह तर्क दिया है कि उच्चतम न्यायालय ने उस प्रकरण के कण्डिका 5 में यह निर्णय दिया है कि चेक की अदा न की गई राशि के रूप में वापसी की सूचना प्राप्त होने से पंद्रह दिन की संगणना की जानी चाहिए। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणी साधारण अर्थ में की थी, न कि "सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर" शब्दों की व्याख्या करते हुए। उस प्रकरण में, परिवादी ने परिवाद में एक त्रुटि के कारण उल्लेख किया था कि चेक 13 जनवरी, 1994 को वापस कर दिया गया था, जबकि यह उचित नहीं था क्योंकि परिवादी ने यह दिखाने के लिए सबूत पेश किए थे कि 14 से 16 तारीखें छुट्टियां थीं और इसलिए, उन्हें 17 जनवरी, 1994 को अपने चेक के अनादरण के बारे में पता चला। इसलिए, मेसर्स मुनोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स पुट्टुकोला प्रॉपर्टीज लिमिटेड और अन्य (पूर्वोक्त) में मेरी सुविचारित राय में, उच्चतम न्यायालय यह विधि नहीं बना रहा था कि "चेक के असंदत्त रूप से वापस किए जाने के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर" शब्दों की व्याख्या करते समय बैंक से सूचना प्राप्त होने की तारीख को भी पंद्रह दिनों की सीमा की संगणना करते समय शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि उस समय अपरिवर्तित प्रावधान था। इसलिए, साकेत इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(22) अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत बालकृष्ण माहेश्वरी बनाम मीना उर्फ चमन जैन (पूर्वोक्त) का प्रकरण भी किसी भी तरह से अनावेदक की सहायता नहीं करता है, क्योंकि यह प्रश्न कि

क्या बैंक से आदाता द्वारा चेक के अनादर के संबंध में सूचना प्राप्त होने का दिन परिसीमा की संगणना करते समय शामिल किया जाएगा, उस प्रकरण में प्रश्नगत नहीं था।

(23) आवेदक ने परिवाद में और सूचना में तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन अपने कथन में उल्लेख किया है कि उसने चेक के अनादर के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने की तिथि पर ही नहीं, बल्कि दिनांक 23–08–2003 को सूचना देने से पहले भी बार–बार अनावेदक/चेक के लेखीवाल को फोन किया था। यद्यपि, यह अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) के अनुपालन के बराबर नहीं है क्योंकि "लिखित में सूचना देकर" शब्द विधायिका के स्पष्ट और सुस्पष्ट आशय को दर्शाते हैं कि ऐसी सूचना लिखित में होनी चाहिए और इसलिए, बैंक से सूचना प्राप्त होने की तिथि पर चेक के लेखीवाल को फोन करना अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) के अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यदि आवेदक ने वैधानिक अवधि के भीतर चेक के अनावेदक/आवेदक को फैक्स या कूरियर द्वारा सूचना की एक प्रति भेज दी होती, तो यह अधिनियम की धारा 138 के परंतुक (ख) का पर्याप्त अनुपालन होता। मेसर्स एसआईएल इम्पोर्ट, यूएसए बनाम मेसर्स एक्ज़िम एड्स सिल्क एक्सपोर्टर्स, बैंगलोर (पूर्वोक्त) प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> 13. चेक के असंदत्त वापस आने की सूचना प्राप्त होने पर आदाता पर लगाया गया दायित्व धारा 138 के खंड (ख) में उल्लिखित है। 15 दिवस के भीतर उसे संदाय की मांग करनी होगी। इस खंड में ऐसी मांग करने का तरीका भी निर्धारित है, अर्थात् "चेक के लेखीवाल को लिखित सूचना देकर"। कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसी सूचना पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए या किसी संदेशवाहक के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।
>
> 14. बैंकिंग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 के अनुसार अधिनियम का अध्याय XVII, जिसमें धारा 138 से 142 शामिल हैं, अधिनियम में सम्मिलित किया गया था। जब विधायिका ने यह विचार किया कि चेक के लेखीवाल को लिखित सूचना दी जानी चाहिए, तो यह माना जाना चाहिए कि विधायिका को पहले से ही प्रचलित और भविष्य के लिए तैयार आधुनिक उपकरणों और उपकरणों की जानकारी थी। यदि न्यायालय धारा में "लिखित सूचना देना" शब्दों की व्याख्या केवल सूचना भेजने के प्रथागत तरीके तक ही सीमित मानता है, तो डाक सेवा

या व्यक्तिगत वितरण द्वारा भी, व्याख्यात्मक प्रक्रिया समय के परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो जाएगी।

15. फैक्स (या फैक्स) हस्तलिखित, मुद्रित या टाइप की गई सामग्री के साथ-साथ तार या रेडियो द्वारा चित्र भेजने का एक तरीका है। पश्चिम में इस प्रकार का प्रसार 1930 के दशक के अंत में ही व्यापक रूप से प्रचलित हो गया था। 1954 तक अंतर्राष्ट्रीय समाचार सेवा ने फैक्स का व्यापक रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया था। फैक्स, इंटरनेट, ई-मेल आदि जैसी तकनीकी प्रगति संसद द्वारा संशोधन अधिनियम विधेयक पर चर्चा से पहले ही तेज़ी से हो रही थी। इसलिए जब संसद ने लिखित सूचना देने पर विचार किया, तो हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि संसद पहले से ही प्रचलित आधुनिक उपकरणों और उपकरणों से अवगत थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. फ्रांसिस बेनियन ने वैधानिक व्याख्या में "विधि, सामाजिक परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी, शब्दों के अर्थ और अन्य मामलों में अधिनियम के पारित होने के बाद से हुए किसी भी सुसंगत परिवर्तन के लिए छूट" देकर किसी क़ानून की व्याख्या करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

17. विधानों को अद्यतन करने की आवश्यकता के लिए, न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे अधिनियम द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक व्याख्यात्मक प्रक्रिया का उपयोग करें। उपरोक्त पुस्तक के पृष्ठ 167 पर दिए गए निम्नलिखित अंश को राज्य बनाम एस.जे. चौधरी (1996) 2 एससीसी 428: 1996 एसजीसी (क्रि) 336 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुमोदन से उद्धृत किया गया है।

"यह माना जाता है कि संसद चाहती है कि न्यायालय एक प्रवृत्त अधिनियम पर एक ऐसी संरचना लागू करे जो अधिनियम के आरंभिक निर्माण के बाद से उसके शब्दों में निरंतर परिवर्तन करती रहे (एक अद्यतन संरचना)। जब तक यह विधि बना रहता है, इसे हमेशा से प्रचलित विधि के रूप में ही माना जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी भी तिथि पर इसके लागू होने पर, अधिनियम की भाषा, यद्यपि अनिवार्य रूप से अपने समय में अंतर्निहित है,

फिर भी इसे वर्तमान विधि के रूप में मानने की आवश्यकता के अनुसार व्याख्यायित किया जाना चाहिए।"

18. अतः यदि धारा 138 के परन्तुक के खंड (ख) में परिकल्पित सूचना फैक्स द्वारा प्रेषित की जाती तो यह विधिक आवश्यकता के अनुरूप होता।

हालाँकि, वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई तथ्यात्मक स्थिति उद्भूत नहीं होती क्योंकि अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (ख) द्वारा परिकल्पित सूचना न तो फैक्स द्वारा भेजी गई थी और न ही कूरियर सेवा द्वारा।

(24) उपर्युक्त विवेचना के आलोक में, अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (क), (ख) और (ग) तथा धारा 142(ख) में प्रयुक्त शब्द "का" शब्द "से" के समरूप है। अतः साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधान लागू होते हैं। साकेत इंडिया लिमिटेड व अन्य बनाम इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (ग) में उल्लिखित शब्दों "उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिवस के भीतर" की व्याख्या वर्तमान प्रकरण में पूरी ताकत से लागू होती है। अतः बैंक से चेक के लेखीवाल या चेक धारक को सूचना प्राप्त होने की तारीख को तीस दिवस की अवधि की संगणना करते समय छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसके भीतर प्राप्तकर्ता को अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) के अधीन चेक के लेखीवाल को लिखित में सूचना देकर उक्त धनराशि की मांग करनी होती है। वर्तमान प्रकरण में, चूँकि चेक प्राप्तकर्ता या चेक धारक को बैंक से सूचना 23–08–2003 को प्राप्त हुई थी और सूचना 22–09–2003 को दिया गया था, इसलिए, चेक प्राप्तकर्ता या चेक धारक को सूचना प्राप्त होने की तिथि को छोड़कर, सूचना 30 वें दिन, अर्थात् चेक के असंदत्त रूप से वापस आने के संबंध में बैंक से प्राप्तकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त होने के तीस दिवस की अवधि के भीतर दिया गया था। इसलिए, एएसजे ने यह मानने में त्रुटि की कि चेक प्राप्तकर्ता या चेक धारक के पक्ष में कोई वाद–हेतुक उद्भूत नहीं होता क्योंकि उक्त सूचना तीस दिवस की अवधि की समाप्ति के बाद दिया गया था। एएसजे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, विधि के विपरीत होने के कारण, अपास्त किए जाने योग्य है।

(25) तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 138 के परंतुक (ख) के अनुसार, आवेदक/आदाता द्वारा चेक के अनावेदक/आहर्ता को लिखित सूचना बैंक से चेक के असंदत्त रूप से वापस होने की सूचना प्राप्त होने के तीस दिवस के भीतर दी गई थी। अतः, अधिनियम की धारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

138 के परंतुक (ख) का अनुपालन न करने के संबंध में परिवाद की पोषणीयता के संबंध में अनावेदक/चेक आहर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति अमान्य होनी चाहिए।

(26) फलस्वरुप, पुनरीक्षण स्वीकार की जाती है। अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19-07-2006 को पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Gangadhar Rajput